राजस्थान में पाली जिले के व्यक्तियों द्वारा आयकर की अदायगी

178. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के पाली जिले में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो सरकार को आयकर देते हैं और गत वर्ष सरकार द्वारा उनसे कुल कितना राजस्व वसूल किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (1) राजस्थान के पाली जिले में आयकर देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ——3405

(2) 1969-70 में वसूल आय की रकम ——28,62,000 रु०

सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान किराया रसीदें पेश किया जाना

179. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नियमो के अनुसार 500 रुपये से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान के किराये की रसीद पेश करने की आवश्यकता नही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने विभागीय आदेश जारी किये है जिनके अनुसार 500 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मकान के किराय की रसीद पेश करने को कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि गृह कार्य मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में 25 प्रतिशत मकान किराया तथा 500 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मकान किराये की रसीद पेश न करनी पड़े ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) महगाई वेतन सहित 620.00 रुपये तक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, वास्तव में दिये गये किराये अथवा आंशिक किराये की रकम का प्रमाण दिये बिना ही, कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, मकान किराया भत्ता पाने के हकदार है ।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान प्रशासन द्वारा अध्यापकों तथा प्राध्यापकों की पदोन्नति

180. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान प्रशासन ने कुछ अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को प्रिंसिपल मुख्य अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद पर पदोन्नति कर दिया है ;

(ख) क्या उनकी शैक्षिक अर्हताएं उक्त पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं से कम है ;

(ग) क्या कुछ अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को नियमों का उल्लंघन कर पदोन्नत किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्दमान प्रशासन को इस बारे में क्या निदेश दिये जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) जी हां ।

(ख) प्रधानाचार्य के पद के लिए न्यूनतम अनिवार्य अर्हता मास्टर की डिग्री सहित शिक्षा में डिग्री अथवा डिप्लोमा है । केन्द्रीय माध्यमिक

शिक्षा बोर्ड से नियमों के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के पश्चात केवल एक अध्यापक को, जिसके पास दो विषयों में एम०ए० की योग्यता सहित अध्यापन प्रमाण, पत्र और 25 वर्ष का अध्यापन अनुभव है, तदर्थ आधार पर प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्डमान प्रशासन के अधीन ड्राइंग अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड

181. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान प्रशासन ने वहां के कुछ ड्राइंग अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक का ग्रेड दे दिया है ;

(ख) क्या किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में उक्त अध्यापकों को ग्रेड दिये जाने का कोई नियम नही है ;

(ग) यदि हा, तो अन्डमान मे कितने अध्यापकों को उक्त ग्रेड दिया गया है ; और

(घ) इस अनियमितता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में फारसी

182. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फारसी विषय को उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों से निकाल दिया है ;

(ख) क्या अन्डमान प्रशासन द्वारा अपने उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में इसे अभी तक एक विषय के रूप में रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में उक्त प्रशासन को क्या निदेश दिये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां, बशर्ते कि पढ़ने के लिए अपेक्षित संख्या में विद्यार्थी इस विषय को लें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्डमान में छुट्टी पर गये हुए अध्यापक

183. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान प्रशासन के अधीन कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि से लगातार छुट्टी पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि के लिए उनके छुट्टी पर जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उक्त प्रशासन से जांच पड़ताल करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में क्या कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

Commission on Working of Akademies

184. **SHRI BISWANARAYAN SHASTRI** : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether a Commission was